मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग,

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रं. एफ 9-2/2026/नियम/चार भोपाल, दिनांक 02 अप्रैल, 2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में ।

म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/2025/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 सितम्बर, 2025 से (भुगतान माह अक्टूबर, 2025) से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 252% की दर से एवं सातवें वेतनमान में 55% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है ।

2/ छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा पत्र दिनांक 09.02.2026 से म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के अंतर्गत पेंशनर / परिवार पेंशनर को दिनांक 01 जनवरी, 2026 से सातवें वेतनमान में 58% एवं छठवें वेतनमान में 257% मंहगाई राहत दिये जाने हेतु म.प्र. शासन की सहमति चाही गयी है ।

3/ मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में 01 जनवरी, 2026 (भुगतान माह फरवरी, 2026) से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत में वृद्धि की दर		वृद्धि के पश्चात संशोधित मंहगाई राहत की दर	
	छठवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छठवां वेतनमान	सातवां वेतनमान
01 जनवरी, 2026 से (माह जनवरी, 2026 की पेंशन/परिवार पेंशन जो फरवरी, 2026 में देय होगी)	05%	03%	257%	58%

* 80 वर्ष आयु पूर्ण अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी ।

निरंतर...

4/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Inability) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation)पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. (6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 05-10-76 के प्रतिबंधो के अधीन देय होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशनं पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परन्तु यदि पति/पत्नि की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी।

5/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

6/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होगें, जिन्होने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।

7/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

8/ राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।

9/ संचालक पेंशन, बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

02/04/2026

(विवेक कुमार घारू)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh
Finance Department
Mantralaya- Bhopal

No.- F 9-2/ 2026/Rule/IV Bhopal, dated 02 April, 2026

To,

All Departments of Government
The President of Board of Revenue, Gwalior
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Department,
All Collectors,
Madhya Pradesh

Sub - Revised rate of dearness relief to Pensioners/family pensioners of state of Madhya Pradesh.

The State Government had sanctioned 55% Dearness Relief in 7th Pay Scale and 252% in 6th Pay Scale w.e.f. 01 September, 2025 (To be paid in October,2025) on pension / family pension to its pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No.F 9-2/2025/Rule/IV Bhopal, dated 15th October, 2025.

2/ Chhattisgarh Government by its letter dated 09.02.2026 has sought consent of Government of Madhya Pradesh according to M.P Reorganisation Act 2000 to grant benefit of Dearness relief @58% in 7th pay commission & @257% in 6th pay commission to the Pensioner's / Family pensioner's with effect from 01.01.2026.

3/ In view of the above Government of Madhya Pradesh is pleased to sanction the Dearness Relief admissible to pensioners/family pensioners as given below :-

S.No	Date from which payable	Rate of increase in D.R.		Revised rate of D.R. after increase	
		VIth Pay Scale	VIIth Pay Scale	VIth Pay Scale	VIIth Pay Scale
1.	w.e.f. 01.01.2026(Pension/family pension for the month of January,2026 to be paid in February,2026)	05%	03%	257%	58%

* The additional pension payable to the pensioner's / family pensioner's aged 80 years completed or above shall also qualify for dearness relief.

Contd....

4/ The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring Inability and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extraordinary pension subject to the restrictions contained in the Finance Department's Memo No.F.B.6/43/76/r-II/IV dated 05.10.76 This relief on family pensions shall be payable in such cases, where a person was already in service at the time of the death of the spouse and was not appointed on compassionate grounds. However, this relief on family pension shall not be payable in those cases, where a person has been appointed on compassionate grounds, on account of death of the spouse.

5/ Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

6/ This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board / Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3 rd commuted portion of pension in terms of this Department's memo No. F 9/9/2006/Rule/IV dated 05-01-2007.

7/ Fraction of rupee of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

8/ All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/ Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the provisions of relevant rules M.P.T.C. 2020.

9/ After payment of dearness relief, the same may be got test checked by the Director Pension in bank branches, and if some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment of next months.

By order and in the name of
Governor of Madhya Pradesh

02/04/2026

(Vivek Kumar Gharu)
Deputy Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Finance Department